विचार बिन्दु

थोड़ा सा झूठ भी मनुष्य का नाश कर सकता है। –महात्मा गाँधी

जवाबदेही कानून लाने में क्यूं है परेशानी!

भारतीय संविधान के प्रावधानों के मुताबिक सरकार की जवाबदेही निर्वाचित सदन में नागरिकों के प्रतिनिधियों के प्रति होती है। इसलिए सारा दारोमदार सदन में सरकार से जवाब मांगने वालों पर होता है कि वे किस प्रकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मगर हम भारत के लोगों ने देखा है कि सदन में बैठते ही उनके प्रतिनिधियों का व्यवहार बदल जाता है और वे अपने या दलीय हितों से ऊपर नहीं उठ पाते। यही कारण है कि जनता को आजादी के इतने बरसों बाद भी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए अभियान चला कर वैसी संवैधानिक व्यवस्थाएं करानी पड़ती हैं जिनसे लोक सेवकों को लोकहित में काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और महात्मागांधी राष्ट्रीय रोज़गार योजना इसके उदाहरण है जिन्हें पाने के लिए सभ्य समाजों ने लंबे अभियान चला कर सफलता पाई। सभ्य समाज एक लंबे समय से ऐसा ही एक अभियान जवाबदेही कानून के लिए चला रहा है, किन्तु शासन तंत्र के अडंगे वैसा नहीं होने दे रहे हैं। जब कांग्रेस ने जवाबदही कानून लाने का वादा 2018 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था। उसके बाद 2019 के बजट भाषण में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने की घोषणा की थी। मगर अब तक तो यह मुद्दा वादा तेरा वादा जैसा ही रहा है। अब तक के घटनाक्रम से यह तो यही स्पष्ट होता है कि शासन तंत्र के आला अफसर हर चंद इस कोशिश मैं लगे हुए हैं कि राज्य में कोई प्रभावी जवाबदेही कानून न बन सके। यदि कानून बने भी तो वह वह इतना लचीला हो कि वे अपनी जवाबदेही से बच सकें। जिन्होंने सूचना एवं रोजगार अधिकार का अभियान चलाया था वे अब इस नये कानून के लिए अभियान चला रहे हैं। इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना जवाबदेही की पुख्ता व्यवस्था के सरकार की कोई भी नीति और कार्यक्रम प्रभावी नहीं हो सकता। इस कानून की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि विधायिका संवैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुरूप अपनी भूमिका अदा करने में असफल रही है। संसद या विधान सभाओं में बैठने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की समझ और प्राथमिकताएं आश्चर्यजनक रूप से हमेशा ही संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप नजर नहीं आती हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि शासन के शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व के चाहने के बाद भी इस कानून का बनना रुका हुआ है। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदार तय करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने देश में पहली बार प्रदेश में जवाबदेही कानून बनाने की बात कह कर वाह वाही लूटी थी। मगर जैसे कि सरकारी तंत्र काम करता है कानून का मसौदा बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी गई। इसमें एक साल निकल गया। फिर नये कानून का मसौदा बना। उसे अंतिम रूप देने से पहले उस पर आम लोगों की राय जानने के लिए कानून के प्रारूप को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया। इस बात को अब एक साल होने को आया है और इसे लागू करवाने की मांग करने वालों का धैर्य जवाब देने लगा है और वे इसके लिए राज्य व्यापी अभियान छेडने को तत्पर हैं। इसी दबाव में मुख्यमंत्री को हाल ही में यह कहना पड़ा कि सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अच्छे सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें गौर से सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये जमीन से जुडे हुए प्रतिबद्ध लोग होते हैं जिनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। इनके सुझावों से क्रांतिकारी बदलाव भी आता है जैसे सूचना का अधिकार कानून भी सामाजिक संगठनों के प्रयासों से बना। परंतु जिस प्रकार से इस कानून को बनाने के लिए विधेयक को लाने में अडंगे लगते रहे हैं उन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री का यह कथन आश्वस्त नहीं करता कि मैं भी सुशासन चाहता हूं और इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी वह हम करेंगे। यह नेताओं का एक चालू नुस्खा है जिसके लिए ही किसी कवि ने कहा था सब कुछ है मेरे देश में रोटी नहीं तो क्या/वादे लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या।

प्रस्तावित कानून के प्रारूप के अनुसार नये कानून का उद्देश्य एक ऐसी विकेंद्रीकृत एवं सहभागी व्यवस्था बनाना है जिसमें व्यापक जनभागीदारी से सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके और एक सार्थक सामाजिक अंकेक्षण हो सके। आम जन को सेवाओं की गारंटी और अधिकारियों की जवाबदेही को इस कानून के प्रारूप में शामिल किया गया है और इसके दायरे में 25 विभागों की 220 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख विभाग हैं पंचायती राज, जलदाय, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, कृषि, कृषि विपणन, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, चिकित्सा, देवस्थान, ग्रामीण विकास, वन, रोडवेज आदि। इसमें जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जुडी सेवाओं को शामिल किया गया है। जवाबदेही कानून के तहत प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था होगी। इसके लिए पंचायत समिति एवं नगर पालिक स्तर पर सूचना और सहयोग केंद्र होंगे। उपखंड अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी गठित होगी। यह कमेटी आम लोगों की पानी, बिजली, शौचालय, सड़क, राशन, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति-प्रमाण-पत्र, विधवा पेंशन, वाहन चालक का लाइसेंस सहित आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे शिकायतों का निस्तारण करें। सुनवाई के बाद शिकायत का निस्तारण यदि एक माह में नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक माह बाद शिकायत पर जिला सतर्कता समिति सुनवाई करेगी। जिला स्तरीय समिति में मामलों का निस्तारण तय समय पर करना होगा, यदि इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी टालमटोल करेगा तो उसको दंड दिया जाने का प्रावधान होगा। प्रारूप के अनुसार प्रत्येक को यह अधिकार है कि एक निश्चित समयसीमा के भीतर निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता में उन्हें चिह्नित सेवाएं मुहैया होनी चाहिए और उनकी शिकायतों का निवारण होना चाहिए। प्रस्तावित मसौदे के अनुसार सरकारी अधिकारी दी गई सेवाओं का पूरा ब्योरा और जॉब चार्ट जारी करेंगे जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि किस अधिकारी को कौनसी जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कितनी तत्परता और कुशलता से कर पाया। सुनवाई के अधिकार के तहत बूथ स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई होगी जिसमें शिकायतकर्ता अपनी बात रख सकेंगें। इसमें राज्य स्तर पर लोक शिकायत निवारण आयोग तथा जिला तथा सम्भागीय स्तरों पर प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था के साथ सामाजिक अंकेक्षण परामर्शी बोर्ड बनाने का प्रावधान भी है।

लोगों का मानना है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी वैधानिक रूप से स्पष्ट परिभाषित होनी चाहिए। मगर प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में वह धार नहीं है जैसी वे चाहते हैं। अतः वे नये कानून के जरिए ऐसी व्यवस्था कराना चाहते हैं जिसमें कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ा अंकुश लग सके। इसे सूचना के कानून के बाद बड़ा वैधानिक कदम माना जा रहा है।

बताया जाता है कि इसके मसौदे पर अब भी शासकीय अधिकारियों तथा सामाजिक संगठनों के बीच मतैक्य नहीं है। सभ्य समाज के लोगों का मानना है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी वैधानिक रूप से स्पष्ट परिभाषित होनी चाहिए। मगर प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में वह धार नहीं है जैसी वे चाहते हैं। जिस तरह का जैसा प्रारूप सामने आया है उससे वे लोग कत्तई संतुष्ट नहीं हैं जो नये कानून के जरिए ऐसी व्यवस्था कराना चाहते हैं जिसमें कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर कडा अंकुश लग सके। इसे सूचना के कानून के बाद बड़ा वैधानिक कदम माना जा रहा है। हालांकि बात अब तक वही ढाक के तीन पात रही है। अपने कार्यकाल के बचे समय में मुख्यमंत्री ऐसा कुछ तुरंत करना चाहते हैं जिससे उनके लिए अगले चुनाव की राह आसान होती लग सके। इसलिए इस कानून का विधेयक विधानसभा में पेश किये जाने की संभावना प्रबल हो गई है। हालांकि जवाबदेही विधेयक का प्रारूप फरवरी 2019 में ही राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गयाथा जिस पर आम जन के सुझाव आमंत्रित किये गए थे। तब से अब तक क्या हुआ यह बताने की जवाबदेही भी सरकार नहीं निभा रही है। लोग जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुझाव आए और उन पर शासन की क्या प्रतिक्रिया है। इसके लिए सभी को शायद विधानसभा में विधेयक के प्रस्तुत किये जाने का ही इंतजार करना होगा।

सरकार की जवाबदेही संसद और विधान सभाओं के प्रति होती है। किन्तु यह तभी प्रभावी होती है जब निर्वाचित प्रतिनिधि जागरूक और संवेदनशील हों तथा लोकहित के प्रति समर्पित व प्रतिबद्ध हों। कानून बनाएंगे कह देना तो ठीक है, लेकिन इसके ईमानदार पालन की बात सबसे महत्त्वपूर्ण है। देखना यह है कि सरकार महज चुनावों में भुनाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करती है या एक प्रभावी कानून लाने की पहल करती है। यदि प्रभावी पहल होती है तो उसके परिणाम निर्णायक और दूरगामी साबित हो सकते हैं। राज्य की इस पहल से केंद्र सरकार पर भी ऐसे ही कानून लाने का दबाव भी बन सकता है। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि राज्य सरकार इस चुनौती से किस प्रकार निबटती है। क्या वह शासन तंत्र की मर्जी मुताबिक वह कमजोर कानून बनाती है या जन संगठनों की राय के अनुरूप उसमें प्रावधान करती है। प्रभावी सामाजिक जवाबदेही कानून बना कर सरकार सही मायनों में लोकहित के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकती है और शासन तंत्र के असंवेदनशील रवैये पर अंकुश लगा सकती है ताकि लोगों को वे सेवाएं निर्बाध रूप से मिल सके जिसके वे हकदार हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सुखद परिणाम : दुखद परिणति

कैंसर की कथा व्यथा के आयाम भी निराले हैं। चिकित्सकों का अनुसंधान, मरीज की जान जोखिम। जान लेवा कैंसर। मरीज की लाचारी, चिकित्सकों की मजबूरी। और इनके बीच झूलता जीवन। उस पर अनुसंधान कर्ताओं के अहम की लड्डाई, प्रतिस्पर्धा और ईर्षा। रोगी को अपने जीवन से प्यार, चिकित्सक को उसके जीवन से। और प्यार में सब जायज। युद्ध में भी सब जायज होता है। कैंसर चिकित्सा भी एक संग्राम ही है। अंत भला तो सब भला। जो जीता वही सिकंदर। यह एक ऐसे ही अनुसंधान संग्राम की कहानी है।

कोरियो कार्सिनोमा: गर्भ या भ्रूण का बाहरी आवरण कोरियोन कहलाता है। यह आवरण ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का बना होता है। इसी के एक भाग से प्लेसेन्टा (अपरा या आंवल) बनता है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं ही गर्भाशय की आंतरिक परत – एन्डोमेट्रियम – को भेद कर गर्भ को वहां स्थापित करती हैं और गर्भाशय की रक्त नलियों को खोल कर मां के रक्त से संपर्क स्थापित करती हैं। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं में कैंसर कारक विकृति होन पर, गर्भसमापन (प्रसव या गर्भपात) पर, इनमें से कुछ कोशिकाएं चिपकी रह कर गर्भाशय में ही छूट जाती हैं। इन्हीं से पहले गर्भाशय और फिर अन्यत्र घातक कोरियो कार्सिनोमा होता है। यह विकृत गर्भ के समापन या गर्भपात के बाद प्लेसेन्टा की ट्रोफोब्लस्ट कोशिकाओं से होने वाला घातक कैंसर है। यह बड़ी तीर्व गति से गर्भाशय के बाहर, फेंफड़ो, मस्तिष्क, लिवर आदि में फैलता है और जहां पहुंचता है वहां भीषण रक्तस्राव कर महिला की मृत्यु का कारण बन सकता है। इसके सार्थक उपचार की खोज की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही शिक्षाप्रद भी।

अगस्त 1956. अमेरिका के नेशनल कैंसर इनस्टिट्यूट के अस्पताल में कार्यरत डॉ. मिन चिऊ ली। अस्पताल में भर्ती कोरियो कार्सिनोमा की एक रोगी को हटात भीषण रक्तस्राव चालू हो गया। डॉ ली ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाये। रक्तस्राव शुरू होने के तीन घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। इस कैंसर के लिए तब कोई सार्थक दवा उपलब्ध नहीं थी। शल्यचिकित्सा और विकिरण चिकित्सा से अवश्य इलाज होता था। डॉ. ली तीर्व गति के रक्त कैंसर में 1948 से सार्थक प्रयोग में आ रहे एन्टीफोलिक एसिड – मिथोट्रिक्सेट – के बारे में जानते थे। उनका सोच था कि जो औषध तीर्व गति से बढने फैलने वाले रक्त कैंसर में सार्थक कैंसर रोधक का कार्य करती है

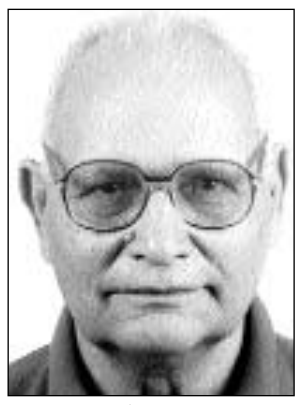

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

वह तीर्व गति के कोरियोकार्सिनोमा में भी कारगर होनी चाहिए। उन्हे यह प्रयोग करने का अवसर भी शीघ्र ही मिल गया।

इस महिला का कोरियोकार्सिनोमा गंभीर रूप में फेफड़ों में फैल गया था, अंगूर के गुच्छे जैसा। एक ओर का कैंसर फट गया और उससे सीने में भीषण रक्तस्राव चालू हो गया। सांस उखड़ गई। वैसी ही आपत स्थिति। डॉ. ली और उनके साथियों ने सीने से रक्त निकालने को ट्यूब डाली। रक्त बाहर आया तो सांस ठहरी। रक्त दिया जा रहा था। पर जितना अंदर जाता उससे अधिक ट्यूब से बाहर आ रहा था, वह भी शुद्ध रक्त। रुकने का नाम नहीं। रक्त बैंक से कितना रक्त मिलता। हार कर उन्होने सीने की ट्यूब को रक्त की बोतल से जोड़ दिया। उसी का रक्त स्वयं को। जितना बाहर आता उतना शरीर के अंदर। स्वयं का रक्त सीधे तौर पर देने का संभवत: यह पहला केस था। स्राव रोकने की औषधियां चल ही रही थी। आशा तो नहीं के बराबर थी पर रात भर में महिला की हालत संभल कर स्थिर हो गई।

कैंसर के उपचार की अब दवा दी जानी थी। डॉ. ली ने मिथोट्रिक्सेट का प्रयोग किया। दवा की चार खुराक मिलने के बाद जब सीने का एक्स-रे लिया गया तो जैसे चमत्कार हो गया। कैंसर फेफड़ों से सर्वथा विलुप्त हो गया था। घातक कोरियोकार्सिनोमा की सार्थक दवा मिल गई। डॉ. ली मिथोट्रिक्सेट का प्रयोग इस कैंसर के सभी रोगियों में करने लगे। लेकिन डॉ ली के लिए यह सुखद अंत नहीं साबित हुआ। वे यह दवा रोगियों को उनके कैंसर के एक्स-रे आदि के परीक्षण पर सर्वथा लुप्त हो जाने के बाद भी चालू रखते थे। यह कैंसर एक विशिष्ट हॉर्मोन – हयूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन (एच सी जी) – रक्त में स्रावित करता है। इस हॉर्मोन की रक्त में मात्रा को कैंसर का प्रतीक माना जाता है। कैंसर विलुप्त दिखने पर इसकी मात्रा काफी कम हो जाती थी, लेकिन सर्वथा खत्म नहीं होती थी।

डॉ. ली का मानना था कि हॉर्मोन का होना ईंगित करता है कि कैंसर की कुछ कोशिकाएं शरीर में अभी शेष हैं अत: दवा चालू रखते थे। अन्य डाक्टर इसे अनावश्यक और व्यर्थ रोगी की जान सांसत में डालना मानते थे, कारण इस दवा के गंभीर साइड एफेक्ट (दुष्प्रभाव) होते थे। डॉ. ली अपने विश्वास के पक्के थे वे कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। वे नहीं माने। शिकायत हुई। गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई और डॉ. ली को अस्पताल से निकाल दिया गया। वर्षों बाद यह उजागर हुआ कि जिन कैंसर रोगियों में मिथोट्रिक्सेट रक्त से एच सी जी सर्वथा खतम होने से पहले बंद कर दी गई थी उनमें काफी में कैंसर वापस हो गया, केवल वही सर्वकालिक कैंसर मुक्त हुई जिनमें दवा इस हॉर्मोन की मात्रा शून्य होने तक चालू रखी गई। डॉ. ली सही साबित हुए, लेकिन अपने साथियों की प्रतिस्पर्धा और इर्षा का फल भुगतने के बाद। उन्हे घातक कैंसर का सार्थक इलाज खोजने का श्रेय तो मिला लेकिन काफी जलालत झेलने के बाद। दुष्यन्त के शब्दों में उनकी शर्त थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, महज हंगामा करना उनका मक्सद नहीं था।

–डॉ. श्रीगोपाल काबरा
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

गुजारिये जिन्दगी हँसते-खिलखिलाते

मन के सुखद भावों को बाहर लाने के लिये हंसी सर्वोत्तम उपाय है। एक हल्की सी मुस्कराहट भी लोगो के दिलों को जीतने में सहायक होती है। जीवन चार दिलों का मेला है और व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है परन्तु शेष रह जाती है व्यक्ति की यादें और उसका स्वभाव इसीलिये मुस्कराने से परहेज क्यों?

हँसना, खिलखिलाना, सेहत के लिये अत्यधिक जरूरी है। वैसे देखा जाऐ तो प्रसन्नचित्त व्यक्ति स्वयं को ही आल्हादित नहीं करता वरन अपने आस-पास भी सरल और प्रसन्नचित बना देता है। खुशमिजाज व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति अपना समय बिताना चाहता है। आज की भागदौड की जिन्दगी में लगता है मानव के मन की मुस्कराहट कहीं गायब हो गयी है। वह अपना जीवन निराशा, कुण्ठा, निरसता और प्रतिर्स्पधा आदि में ही काट देता है, पर वह क्यों भूल जाता है कि जिस प्रकार खिले हुए फूल पर तितली, भौरें, मधुमक्खियाँ झुण्ड बनाकर बैठे रहते है उसी प्रकार मुस्कराता चेहरा सभी को लुभाता है।

'लियोनार्दो दाविन्सी' ने जिस समय मोनालिसा की तस्वीर बनायी थी, तब क्या उसने सोचा था कि जिस मुस्कराहट को वह तस्वीर में बना रहा है, लोग उसे सैकड़ो वर्षो तक याद रखेगें। मोनालिसा की मुस्कराहट दिलों में राज कर रही है।

हंसी के बारे में सर्व सम्मत सिद्धान्त यह है कि इससे खून बढ़ता है। इसको मात्र कल्पना नहीं समझना चाहिऐं। हंसी की सच्चाई परखने के लिऐ अमेरिका के डॉक्टरों ने एक बार बच्चों के दो समूह बनाये और दोनों को अलग-

सुनिता सक्सैना

अलग रखा। एक ग्रुप के बच्चों को दोपहर के भोजन, के बाद एक मसखरा तरह तरह से हंसाता था लेकिन दूसरे समूह के बच्चों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक समूह के बाद दोनों समूह के बच्चों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि पहले समूह के बच्चों का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा था, और दूसरे समूह के बच्चे उदास और कम खुश पाये गये।

चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और उसके स्वभाव के बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति कैसा है, यह तो परखने एवं साथ रहने पर ही पता चलता है, परन्तु व्यक्ति के चेहरे की मुद्रा, किसी दुकान के बाहर लगे 'साईन बोर्ड' जैसी होती है, क्योंकि चेहरे की मुद्रा से ही पता लगता है है कि अमुक व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा।

पेरिस के सभा भवन में प्रत्येक रविवार एक सभा-गोष्ठी का आयोजन

■ व्यक्ति प्रसन्न रहना सीख ले तो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है

किया जाता था, जिसमें वहाँ के वैज्ञानिक हंसी पर भाषण देते थे, उस गोष्ठी के दौरान, भाषण के अन्त में, भवन में अन्धकार कर दिया जाता था और लोगो के कहकहे गूंजने लगते थे और उसके बाद उस गोष्ठी में शामिल सभी लोग अपने आप को पूरे हफ्ते के लिये तरोताजा समझते थे।

मुस्कराहट, एक ऐसा मन्त्र है जिससे व्यक्ति स्वयं ही प्रसन्नचित्त नहीं रहता, बल्कि अपने आसपास के लोगो को भी प्रसन्न रखता है। हंसना, शरीर की एक शारीरिक क्रिया है जो कि उस व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों को दूर करती है।

'प्रसन्नता' मुखमुद्रा को सर्वोत्तम गुण है जिसके लिये किसी भी तरह की लाभदायक या अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक नहीं है। मात्र कुछ दिनों में ही पूर्णरूप से व्यक्ति के अन्दर प्रसन्नता का गुण समा सकता है बशर्ते वह प्रसन्न रहने की कोशिश करें। मनुष्य कही भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे यदि वह प्रसन्नता से रहना सीख ले तो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अन्त में तो यही कहना चाहूँगी कि हँसीऐ, मुस्कराईये क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन की सबसे बडी उपलब्धि 'मुस्कराहट' ही है।

–सुनिता सक्सैना,
साहित्यकार

तनोट बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर की तर्ज पर होगी रिट्रीट सेरेमनी

कलेक्टर प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य व कैफे का निरीक्षण किया।

जैसलमेर, (नि.सं.)। पंजाब के वाघा बॉर्डर की तर्ज पर जैसलमेर के तनोट स्थित भारत – पाक बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी होगी । इसमें होने वाली परेड का लुत्फ आम लोग भी उठा सकेंगे । अगले महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए भारत – पाकिस्तान सीमा पर तनोट में स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। यहां एक साथ 2 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी । यहां म्यूजियम और बच्चों के लिए झूले भी होंगे। 31 फीट का ऊंचे वॉच टावर से देशवासी पाक चौकियों को भी देख सकेंगे। उधर , भारत की ओर से पाकिस्तान को इन्विटेशन भेजा गया है फिलहाल , उधर से कोई जवाब नहीं आया है।

सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पंकज घूमर ने बताया कि अगले महीने सीमा चौकी के पास टूरिज्म की शुरुआत होने जा रही है । पंजाब के वाघा बॉर्डर की तरह यहां भी परेड होगी और इसको आम लोग देख सकेंगे। तत्कालीन कलेक्टर आशीष मोदी

■ परेड का लुत्फ आम लोग भी उठा सकेंगे

के प्रयासों से शुरू होने जा रहे इस बड़े प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने मंजूरी दी थी । इस बार्डर टूरिज्म में तनोट माता मंदिर के आगे एक बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है । सोनार किले की तरह स्टेडियम में एक बड़ी दीवार बनाई गई है। दोनों तरफ सैलानियों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। डीजे पर देशभक्ति गीत बजेंगे।

स्टेडियम के सामने एक म्यूजियम बनाया जा रहा है । म्यूजियम में तनोट की हिस्ट्री और 1965 और 1971 के युद्धों की वीर गाथा दर्शाई जाएगी । यहां आने वाले सीमा सुरक्षा बल के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे । नव – नियुक्त कलेक्टर डॉ . प्रतिभा सिंह ने दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा । कलेक्टर ने बीएसएफ के अधिकारियों से इस रिट्रीट सेरेमनी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्टेडियम और म्यूजियम का दौरा कर बन रहे कैफे को भी देखा।

कोटा में बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी घंटी का वजन 82 हजार किलो होगा

कोटा, (निसं)। विश्व मानचित्र पर कोटा शहर की दमदार उपस्थिति दर्ज कराने को संकल्पबद्ध यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर व देश के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया के निर्देशन में कोटा के विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट पर दुनियां की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में तीन रिकार्ड अपने नाम करेगी। आज इस घंटी की वास्तविक आकृति के फ्लेक्स का प्रदर्शन साइट पर किया गया।

उल्लेखनीय है कि इस घंटी का निर्माण स्टील मेन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य कर रहे हैं व इसकी कलाकृति का निर्माण कोटा का घटोत्कच चौराहा बनाने वाले राष्ट्रपति पुरुस्कार से

कोटा चंबल तट पर लगने वाली विश्व की सबसे बड़ी घंटी का वजन बढ़ गया है।

सम्मानित कलाकार हरीराम कुम्भावत कर रहे हैं। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि घंटी का स्किन वजन 57000 किलो घोषित किया गया था

■ स्टील मैन ऑफ इंडिया देवेंद्र कुमार आर्य ने पूरी की वजन की गणना ?

■ तीन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा घंटा

परंतु तब तक इसमें लगने वाली ज्वेलरी के वजन की गणना नहीं की गई थी, अब इसके वजन की भी गणना कर ली गई है। आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी इस घंटी की ज्वेलरी दिखने में इसकी ज्वेलरी है परंतु वह इस घंटे की मजबूती के लिए दी गई है । आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने बताया कि इस घंटे की ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25000 किलो है वह भी घंटी के के साथ ही कास्ट होगा।

इस प्रकार इस घंटे का कुल वजन अब 82000 किलो होगा। स्टील मेन आफ इंडिया देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि चाइना की घंटी जो इस घंटी से बहुत छोटी है उसका वजन 101 टन है। जबकि मास्को की घंटी का वजन 200 टन है। परंतु कोटा के चम्बल रिवर फ्रंट पर लगने वाली इस घंटी का स्वरूपरूप देश के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने इस तरह डिजाइन किया कि यह कभी टूटे भी नहीं और कम वजन में भी उनसे भारी बनाई जा सके , इस घंटी में किसी भी तरह का जॉइंट नहीं है..यह सिंगल कास्टिंग घंटी है । ये घंटी कोटा की पहचान बनेगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 9 फरवरी, 2022

माघ मास शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2078, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 12:23 तक, ब्रह्म योग सांय 5:30 तक, बव करण प्रात: 8:31 तक, चन्द्रमा वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृष, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन-रात बना रहेगा। ज्वालामुखी योग प्रात: 8:31 तक है और रात्रि 12:33 से पुन: आरम्भ होगा। रवियोग रात्रि 12:33 से आरम्भ होगा। आज अष्टमी तिथि में वृद्धि हुई है। आज बुधाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:56 तक, शुभ 11:19 से 12:41 तक, चर 3:25 से 4:48 तक, लाभ 4:48 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:12, सूर्यास्त 6:10

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

वृष
मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या
धार्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक अड़चनें यथावत बनी रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कुंभ
परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/व्यक्तिगत कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।